राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 1/2021

दायर दिनांकः—01.01.2021

पीठासीन अधिकारी—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. धीरज पुरी पुत्र नन्द पुरी, जाति गुसाई निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
2. रमेश पुरी पुत्र नन्द पुरी, जाति गुसाई निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

————प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
2. नौसरदेवी पत्नि हरदयाल, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
3. जीतू पुत्र नारायण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
4. तीजादेवी पत्नि बलभा, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
5. दयाल पुत्र रुपा, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
6. नन्दू पत्नि नारायण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
7. प्रधान पुत्र नारायण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
8. भागचन्द पुत्र बलभा, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
9. मूला पुत्र धन्ना, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
10. महावीर पुत्र बलभा, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
11. राजू पुत्र नारायण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
12. लखाराम पुत्र रुपा, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
13. सूरज पुत्र बलभा, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
14. सुरेश पुत्र बलभा, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
15. सोनू पुत्र रुपा, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
16. हीरालाल पुत्र रुपा, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
17. आचुकीदेवी पत्नि घीसालाल, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
18. करण पुत्र जीवण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
19. केसर पत्नि जीवण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
20. कानाराम पुत्र गंगाराम, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
21. कानाराम पुत्र छोटू, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

22. किशना पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी हरमाडा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
23. गोकल पुत्र गंगाराम, जाति जाट निवासी हरमाडा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
24. घमोल पुत्र जीवण, जाति जाट निवासी हरमाडा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
25. छोटू पुत्र गंगाराम, जाति जाट निवासी हरमाडा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
26. दिनेश पुत्र जीवण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
27. पूजा पुत्री जीवण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
28. पुट्टर पुत्री घीसालाल, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
29. बलभा पुत्र अर्जुन, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
30. भंवरलाल पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
31. मिश्रीलाल पुत्र छोटू, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
32. राजेन्द्र कुमार पुत्र घीसालाल, जाति जाट निवासी हरमाडा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
33. रामकन्या पुत्री जीवण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
34. रामचन्द्र पुत्र अर्जुन, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
35. रामनारायण पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
36. रामेश्वर पुत्र भीयां, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
37. रामा पुत्र अर्जुन, जाति जाट निवासी हरमाडा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
38. लादूराम पुत्र रामसुख, जाति जाट निवासी हरमाडा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
39. श्योकरण पुत्र गंगाराम, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
40. सुखदेव पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
41. संतोष देवी पुत्री घीसालाल, जाति जाट निवासी हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
42. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा हरमाड़ा, जरिये शाखा प्रबंधक।

------अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 28.07.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि जिसके खसरा नम्बर 800 रकबा 2.9164 है0 तथा प्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 1707/800 रकबा 0.2750 है0 है, ग्राम हरमाड़ा तहसील रुपनगढ में अवस्थित है जो हाल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार स्वयं सिद्ध है। प्रार्थीगण की आराजी पुश्तेनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण पूर्वजों के समय से ही शांतिपूर्ण रुप से निर्विवाद काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 800 एवं 1707/800 की उतरी सीमा से लगते हुए गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 786 अवस्थित है जो ग्राम हरमाड़ा से सुरसुरा की ओर जाने वाली डामर सडक से मिलता है पर अवस्थित है। प्रार्थना पत्र में आराजी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है, के उतरी–पश्चिमी, दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी सीमा पर अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 801, 802, 798, 799 एवं 794 अवस्थित है जिनकी सीमा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी से लगती हुई है। प्रार्थीगण जो कि वर्तमान में शास्त्री नगर अजमेर में निवास करते है तथा समय–समय पर काश्त करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

अपनी आराजी पर आते-जाते रहते है। प्रार्थीगण जब वर्तमान में अपनी फसल लाटने गये तो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया जिस पर प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान कर विवाद को सुलझाने का प्रस्ताव रखा तो अप्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं को खुर्द बुर्द कर अतिक्रमण कर अपने खेत में मिला लेने की खुली धमकी दी जिससे प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। वादग्रस्त आराजी को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सीमा को लेकर विवाद एवं झगडा होने की संभावना बनी रहती है जिससे वादग्रस्त आराजीयों का सीमाज्ञान किया जाना न्यायोचित है अन्यथा यदि अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपनी पुश्तैनी आराजी से महरुम होना पड़ेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नही किया जा सकेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है, फिर भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेतों पर जबरन कब्जा करने की नीयत से सीमाओं को खुर्द बुर्द कर अपने खेतों में मिला लेने का नाजायज प्रयास किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण की आराजी का भौतिक स्वरुप नष्ट होने एवं खातेदारी खेतों पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है। वर्तमान में प्रार्थीगण के खेतों का सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी नही हुई है जिससे अप्रार्थीगण जबरन सीमाओं को लेकर झगड़ा फसाद कर सकते है जिससे अब बिना सीमांकन तथा पत्थरगढी कराये भविष्य में काश्त किया जाना संभव नही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 42 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 41 के नोटिस लेने से व चस्पा करने से मना करने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए है जिन्हे तामिल माना जाता है। प्रकरण में किसी भी अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हरमाड़ा के खसरा नम्बर 800 रकबा 2.9164 है0 व खसरा नम्बर 1707/800 रकबा 0.2750 है0 भूमि की पड़ोसी खातेदारों को लिखित में सूचना देने उपरान्त उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रुपनगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रुपये 1000.00 अक्षरे एक हजार रुपये मात्र नियत की जाती है जिसका मौके पर भुगतान करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी शुल्क राशि रुपये 100.00 अक्षरे रुपये एक सो मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हों।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:00 IST
Reason: SelfAttested